कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक :–शिविरा/प्रारं/RTE/C/पुनर्भरण/18882/15–16/प्रथम किस्त/ 250 13-5-16 दिनांक:– 13/5/16

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा
(समस्त).....................................

रजिस्टर्ड पत्र

ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी
(समस्त).....................................

विषयः–आरटीई एक्ट–2009 के प्रावधानान्तर्गत सत्र 2015–16 में 25% निशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे बालकों के संबंध में प्रथम किस्त की प्रतिपूर्ति राशि के पुनर्भरण से वंचित गैर सरकारी विद्यालयों को भुगतान करने के संबंध में ।

प्रसंगः–राज्य सरकार का पत्रांकः–प.9(6)शिक्षा–5/युनिट कॉस्ट/2015 जयपुर दिनांक 15.09.15, 18.11.15, 23.11.15 एवं इस कार्यालय का समसंख्यक पत्रांक 37 दिनांक 2.1.16 तथा पत्रांक 69 दिनांक 12.02.16 व राज्य सरकार का पत्रांकः–1(20) प्रा.शि./आयो/2015 जयपुर दिनांक 29.04.16 ।

उपर्युक्त प्रासांगिक विषयान्तर्गत लेख है कि निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के प्रावधानान्तर्गत सत्र 2015–16 में नव प्रवेशित एवं पूर्व वर्षो के क्रमोन्नत बालकों के संबंध में सत्र 2015–16 की प्रथम किस्त की पुनर्भरण राशि का भुगतान राज्य सरकार का पत्रांकः– प.9(6)शिक्षा–5/युनिट कॉस्ट/2015 जयपुर दिनांक 15.9.15, 18.11.15, 23.11.15 एवं राज्य स्तरीय समन्वय समिति (SLCC) की बैठक दिनांक 05.10.15 में लिये गये निर्णयों के बिंदु संख्या 2(1) की पालना के क्रम में गैर सरकारी विद्यालयों के बैंक खातों में किया जाना है। इस संबंध में संबंधित बीईईओ/डीईओ प्रा.शिक्षा/मा.शिक्षा कार्यालयों द्वारा आरटीई वेब पोर्टल (rte.raj.nic.in) पर ऑनलाईन बजट डिमांड जनरेट करने, निदेशालय प्रा.शिक्षा/मा.शिक्षा राजस्थान, बीकानेर द्वारा संबंधित कार्यालयों को ऑनलाईन बजट राशि आवंटन करने, संबंधित कार्यालयों द्वारा आवंटित बजट राशि के अनुसार ऑनलाईन पास ऑडर जारी कर पे–मेनेजर से लिंक कर ऑनलाईन बिल तैयार कर कोषालय प्रेषित कर भुगतान करने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश प्रदान किये जा चुके हैं ।

इस कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक 37 दिनांक 2.1.16 एवं पत्रांक 69 दिनांक 12.02.16 के द्वारा निर्देशित किया गया था कि वर्ष 2015–16 की प्रथम किस्त के भुगतान हेतु पास आर्डर जारी करने की प्रक्रिया को पे–मैनेजर से लिंक किया गया है। इस संबंध में पास आर्डर जारी करते समय **पे–मैनेजर पर RTE बटन पर ही क्लिक करके कार्य किया जाना है,** किसी अन्य बटन पर क्लिक करने से गलत पास आर्डर जारी होने की स्थिति बन सकती है। गलत पास आर्डर जारी होने पर उसे निरस्त किये जाने का निदेशालय स्तर पर कोई प्रावधान नहीं है, जिसके कारण उन गैर सरकारी विद्यालयो को पुनर्भरण राशि का भुगतान नहीं होने के कारण जटिल समस्याऐं उत्पन्न होने की संभावना है। अतः समस्त आहरण वितरण अधिकारी (बीईईओ/जिला शिक्षा अधिकारी प्रा.शि./मा.शि को निर्देशित किया जाता है कि कम्पयूटर ऑपरेटर द्वारा पास आर्डर जारी करते समय आपके स्वंय की देखरेख में कार्य संपादित करावें। यदि कम्पयूटर आपरेटर/किसी कार्मिक/अधिकारी की लापरवाही से पे–मैनेजर से गलत पास आर्डर जारी किया जाता है तो उसके विरूद्व नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी।

राज्य सरकार के समसंख्यक पत्रांकः–प.1(20)प्रा.शि./आयो/2015 जयपुर दिनांक 29.04.16 के द्वारा शैक्षिक सत्र 2015–16 में आरटीई एक्ट 2009 की धारा 12 (1)(ग) के

प्रावधानान्तर्गत गैर सरकारी विद्यालयों में 25 प्रतिशत निशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों के पुनर्भरण की प्रथम किस्त के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 के बजट प्रावधान में से भुगतान करने के संबंध में गत वर्ष देय राशि जिसका भुगतान बजट के अनुपब्लधता के कारण नहीं हो सका था, का इस वर्ष के बजट में से भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है ।

अतः समस्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रा.शि./मा.शि. (प्रथम/द्वितीय)/बीईईओ कार्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि शैक्षिक सत्र 2015–16 की प्रथम किस्त की पुनर्भरण राशि के भुगतान से वंचित गैर सरकारी प्रा./उ.प्रा./मा./उ.मा. विद्यालयों को भुगतान करने हेतु निदेशालय प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा बीकानेर द्वारा उनकी मांग के अनुसार बजट राशि का आवंटन किया गया है । इस कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक 37 दिनांक 02.01.16 तथा पत्रांक 69 दिनांक 12.02.16 में दिये गये निर्देशों की अक्षरशः पालना करते हुए तत्काल ऑनलाईन पास ऑर्डर जारी कर बिल कोषालय को प्रेषित करें तथा गैर सरकारी विद्यालयों के बैंक खातों में भुगतान राशि अंतरित करवाने की कार्यवाही संपादित किया जाना सुनिश्चित करें ।

(जगदीश चन्द्र पुरोहित)
I.A.S.
निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर ।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद्, शिक्षा संकुल, जयपुर ।
3. निजी सचिव, निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर ।
4. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को प्रेषित कर निवेदन है कि जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा (प्रथम/द्वितीय) से उक्त निर्देशों की पालना कराते हुए पुनर्भरण राशि का भुगतान तत्काल करवाया जाना सुनिशिचित करावें ।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) कार्यालय हाजा/माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर ।
6. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा/माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर ।
7. उपायुक्त (आरटीई), राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद्, शिक्षा संकुल, जयपुर ।
8. प्रोजेक्ट प्रभारी आरटीई पोर्टल, NIC केन्द्र, खंड 6, प्रथम तल, शिक्षा संकुल, जयपुर ।
9. उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा (समस्त)...................... को भेजकर लेख है कि अपने मंडल के अधीन बीईईओ/जिला शिक्षा अधिकारी प्रा.शि. कार्यालयों से उक्त निर्देशों की पालना करवाते हुए तत्काल पुनर्भरण राशि का भुगतान करवाया जाना सुनिश्चित करें तथा पाक्षिक प्रगति रिपोर्ट निदेशालय को प्रेषित करें ।
10. सहायक लेखाधिकारी (बजट), बजट अनुभाग, कार्यालय हाजा/माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर ।
11. सहायक निदेशक (आरटीई), माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर ।

निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर